

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-02/स्था0-17-10/2024-

176

पटना, दिनांक- 14/5/26

कार्यालय-आदेश

विभागीय मुख्यालय स्थापनान्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्यता के मामले पर विचारार्थ विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

i.	श्री के0 डी0 प्रौज्ज्वल, विशेष सचिव	अध्यक्ष
ii.	श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	सदस्य
iii.	श्री महमूद आलम, मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना।	सदस्य, अल्प संख्यक समुदाय के पदाधिकारी
iv.	श्री रतन कुजुर, उप सचिव	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
vi.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
vii.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के नामित पदाधिकारी	सदस्य

2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(कृष्ण गोपाल)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/स्था0-17-10/2024-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/स्था0-17-10/2024-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री अरविन्द कुमार वर्मा, विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं श्री महमूद आलम, मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/स्था0-17-10/2024-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-02/स्था0-17-10/2024- 2568

पटना, दिनांक- 14/5/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव  
14/05/26